

क्षेत्राधिकार सं० २० ।, बरेली आवासीय मकान, अर्द्ध नगरीय क्षेत्र दर भूमि /—रूपये प्रति वर्ग मीटर, जो शत्रु, नजूल, चर्च, वक्फ व सीलिंग की सम्पत्ति नहीं है, पक्षकार भारतीय नागरिक है ।

बैनामा /—रूपये बाजारी मूल्य /—रूपये स्टाम्प /—रूपये का ई—स्टाम्प सर्टिफिकेट सं० --
----- दिनांक का संलग्न है।

मैं कि मैसर्स जे०एच०एम० इन्फ्राहोम्स खसरा नं० 505 वाकै ग्राम चन्दपुर बिचपुरी कलारी लिंक रोड महामाया पब्लिक स्कूल के सामने डोहरा रोड, बरेली है तथा विक्रेता फर्म एक्ट के द्वारा पंजीकृत है द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विनय मैसी पुत्र श्री प्रेम मैसी निवासी मकान नं० 805, सदर बाजार कैन्ट बरेली का हूँ तथा फर्म के बोर्ड आफ पार्टनर की मीटिंग दिनांक ई० मे पारित प्रस्ताव के अनुसार मुझ मुक़िर को दस्तावेजात को तकमिला कर सम्पत्ति विक्रय करने आदि के पूर्ण अधिकार प्राप्त है का हूँ विक्रेता ।

पैन नं० AARFJ5915E मो० नं० 9897073073

जो कि खसरा नम्बर 505 का भाग, वाकै ग्राम चन्दपुर बिचपुरी पर० तह० व जिला बरेली कम्पनी ने द्वारा बयनामा, इकरारी राम चन्द्र संरक्षक भानु प्रताप से खरीद किया, जिसकी रजि० दिनांक 27.03.1988ई० को फोटो स्टेट प्रति पुस्तक सं० 1, खण्ड सं० 542 के पृष्ठ 109 से 138 में क्रमांक 1361 पर कार्यालय सं० २०२० साहब बरेली में हुई है तारीख खरीदारी से फर्म मजकूर पर विला शरकत गैरे मालिक काबिज व दखील चली आ रही है, वाद खरीदारी के कम्पनी मजकूर ने उसका तलपट मानचित्र सं० ----- दिनांक ई० बरेली विकास प्राधिकरण बरेली से स्वीकृत कराया तथा उस पर जे०एच०एम० एस नाम से प्लॉट्स कायम किये जा रहे हैं, जिसमें से प्रा० प्लॉट नं० जिसमें क्षेत्रफल वर्ग मीटर खसरा नम्बर 505 में से वाकै ग्राम चन्दपुर बिचपुरी पर० तह० व जिला बरेली जिसको फर्म मजकूर विक्रय करना चाहती है तथा खरीदार बयनामा उसे क्रय करना चाहते हैं तथा खरीदार बयनामा हाजा ने जो कीमत लगाई है वह फर्म मजकूर को स्वीकार है लिहाजा मैंने वहैसियत अधिकृत हस्ताक्षरी उक्त फर्म मजकूर के खूब सोचकर व समझकर स्वेच्छा से स्वस्थ व चैतन्य मन से वही आवासीय प्रा० प्लॉट नं० जिसमें क्षेत्रफल वर्ग मीटर खसरा नम्बर 505 में से वाकै ग्राम चन्दपुर बिचपुरी पर० तह० व जिला बरेली महदूदा जैल ममलूका व मकबूजा कम्पनी मजकूर जिस पर फर्म मजकूर उपरोक्त विवरण के अनुसार मालिक है, जो किसी जगह रहन, वय व वक्फ व कुर्की व कर्जेजात सरकारी व गैर सरकारी आदि में नहीं है, गर्ज कि सब तरह से पाक व साफ है, और ऐसा ही इत्मिनान खरीदार को दिलाकर साथ सब हदूद व हकूक मिराफिक दाखली व खारजी के विल ऐवज मुवलिंग /—रूपये के बदस्त
..... मो० नं० पैन नं० ----- क्रेता के हाथ व जरूरत इखराजात व मिलने कीमत मुनासिव के कतई बेच डाला और वय कतई कर दिया जरे समन तमाम व कमाल हस्ब तफसील जैल क्रेता से वसूल पाकर प्लॉट मजकूर पर क्रेता को मालिकाना काबिज व दखील मुत्सरिफ कर दिया कि अब फर्म मजकूर व वारिसान व कायम मुकामान फर्म मजकूर का प्लॉट मजकूर पर कोई हक व मिल्क व अंश व हिस्सा किसी

किस्म का बाकी नहीं रहा और न आइन्दा को होगा वय कामिल तौर पर नाफिज हो गई तकाबिजुल बदलैन अमल में आ गया यह शर्त साफ तौर पर करार पाई कि सानी उलहाल अगर कोई सहीम, शरीक, हिस्सेदार, किफालतदार, उज्रदार, हकदार, दावेदार या अन्य कोई शख्स पैदा होकर दावा प्लाट मजकूर की बावत करे जुज या कुल कब्जा क्रेता से निकल जावे तो क्रेता को अख्यार वापसी जरे समन जुज का जुज व कुल का कुल मय हर्जा व खर्चा व नुकसान सर्फ इमारत का फर्म मजकूर की जात व दीगर जायदाद हर किस्म फर्म मजकूर से हासिल होगा, प्रश्नगत सम्पत्ति का पूर्व में कोई बयनामा नहीं किया गया है और न ही उक्त सम्पत्ति का अन्य किसी के पक्ष में वसीयतनामा, इकरारनामा मुहायदावय व मुख्तारनामा व दानपत्र किया गया है सम्पत्ति का स्वामित्व, कब्जा व चौहददी में कोई विवाद नहीं है और व्यवसायिक गतिविधियों में संलग्न नहीं है भविष्य में इस सम्पत्ति पर लागू समस्त कर (नगर निगम, सर्विस टैक्स, जी0एस0टी0, बिजली बिल इत्यादि) देने का पाबन्द क्रेता रहेगा, क्रेता स्वीकृति मानचित्र जो कि बरेली विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है, के अनुसार निर्माण करने का पाबन्द रहेगा, तथा किसी प्रकार का अनाधिकृत अतिक्रमण जनरेटर आदि घर के बाहर नहीं रखेगा, अतः यह विक्रय पत्र लिपिबद्ध कर दिया कि प्रमाण रहे।

हद्दअर्वा प्लाट मजकूर — प्रा0 प्लाट नं0 जिसमें क्षेत्रफल वर्ग मीटर खसरा नम्बर 505 में से वाकै ग्राम चन्दपुर विचपुरी पर0 तह0 व जिला बरेली प्लाट हाजा की खरीदारी कीमत सरकारी कीमत से अधिक होने के कारण स्टाम्प शुल्क खरीदारी कीमत पर नियम अनुसार अदा किया गया है।

पूरब :-

पश्चिम :-

उत्तर :-

दक्षिण :-

पैमाईश:- संलग्न नक्शा वयनामा अनुसार है।

घोषणा

हम पक्षकार घोषित करते हैं कि विक्रीत सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के क्षेत्राधिकार में अर्द्ध नगरीय क्षेत्र के दिये गये सीमांकन के अन्तर्गत स्थित है, जिसका निकटतम मार्ग से लगभग मीटर की दूरी पर स्थित है मूल्यांकन सूची के पृष्ठ संख्या क्रमांक कॉलम बी. कोड में निर्धारित दर के अनुसार गणना कर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 का पूर्ण पालन किया गया है।